राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

दिनांक : 16.01.2023

क्रमांक : वाद / 2022 / 79

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1 करनाराम पुत्र जगरामराम वगैरा 12
जाति जाट, निवासी चीलानाडी ,
कानोड़, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. रूपाराम पुत्र गोरधनराम वगैरा 43,
जाति जाट, निवासी चीलानाडी
, कानोड़, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 47 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – चीलानाडी, पटवार मण्डल – कानोड , तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 852 / 797 रकबा 15.2162 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेती की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

16/1/2023

(मनोज)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 16.01.2023

क्रमांक : वाद / 2022 / 80-84

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
1. पटवारी हल्का कानोड को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
2. प्रार्थी श्री करनाराम पुत्र जगरामराम वगैरा 12
3. विप्रार्थी श्री रूपाराम पुत्र गोरधनराम वगैरा 43
4. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

16/1/2023

उपखण्ड अधिकारी बायतु